प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर थानाः– सीपीएस जयपुर ... वर्ष 2023
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 30/2023 दिनांक 8/2/2023

2. (1) अधिनियम – भ्र0नि0 अधिनियम1988(यथा संशोधित 2018) धाराये :–13(1)(बी) सपठित 13(2).
   (2) अधिनियम – भारतीय दण्ड संहिता ..... धाराये :–
   (3) अधिनियम ..... धाराये :–.....
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये :– .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 145 समय 4:30 P.M.
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक 20.01.2023
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 20.01.2023 समय 1.00 पी.एम

4. सूचना की किस्म :– सूत्र सूचना

5. घटनास्थलः– पुलिस चौकी के सामने चांधन जिला जैसलमेर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – चौकी जैसलमेर से पूरब दिशा 45 किमी0
   (ब) पता :– चांधन जिला जैसलमेर
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी/सूचनाकर्ता
   (अ) नाम :– जरिये सरकार
   (ब) पिता/पति का नाम :–
   (स) जन्म तिथि/वर्ष :–
   (द) राष्ट्रीयता :–
   (य) पाटपोर्ट संख्या :–..... जारी होने की तिथी.....
   (र) व्यवसाय :–
   (ल) पता :–

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   (1) श्री गंगाराम पुत्र श्री सगताराम जाति मेघवाल उम्र 55 साल निवासी गांव छायण पुलिस थाना रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर हाल– मकान नम्बर 47 भरत नगर बिडला स्कूल के सामने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर पैशा सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जोधपुर।
   (2) श्री कैलाशचन्द्र पुत्र श्री जेठाराम बामणिया जाति मेघवाल उम्र 39 साल निवासी गांव खुडियाला पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर हाल–मकान नम्बर डी–161 कीर्ति नगर मगरा पूंजला जोधपुर पैशा सहायक लेखाधिकारी द्वितीय कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जोधपुर।
   (3) श्री महेन्द्र जाट पुत्र श्री कानाराम जाति जाट उम्र 30 साल निवासी गांव भडाना तहसील मुडवा पुलिस थाना मुडवा जिला नागौर, पैशा सहायक लेखाधिकारी द्वितीय कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जोधपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण – .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य– 7,74,500/– रुपये नगद राशि

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

महोदय,

निवेदन हैं कि दिनांक 20.01.2023 को वक्त करीब 1.00 पी.एम पर श्री भंवरलाल कानि. 309 ने बमुकाम चौकी जैसलमेर मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि उसे जरिये मुखबिर खास सूचना मिली हैं कि ऑडिट ऑफिस जोधपुर की एक तीन सदस्य टीम पंचायत समिति मोहनगढ के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों की ऑडिट करने हेतु आई हुई हैं जो ऑडिट के दौरान पैरा नही निकालने की एवज मे ग्राम पंचायतो से अवैध वसूली कर रही हैं जो आज वसूली की गई अवैध राशि लेकर अल्टो कार नम्बर आजे 19 सी.जी. 7265 से जोधपुर की तरफ जायेगें यदि उक्त टीम को रास्ते मे रोककर तलासी ली जाये तो उक्त अवैध राशि बरामद हो सकती है।

मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अति. चार्ज भ्रनिब्यूरो जैसलमेर से जरिये मोबाईल वार्ता कर उपरोक्त तथ्यो से अवगत करवाया गया तो उनके द्वारा स्वंय का मेडीकल पर होना बताकर श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जोधपुर से सम्पर्क करने हेतु कहा गया। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जोधपुर से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर उक्त सूचना से अवगत करवाया गया तो श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस महोदय द्वारा आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री मुकेश पुरोहित वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक जैसलमेर एवं डा0 उमेश शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक जैसलमेर की तलबी की गई। तत्पश्चात श्री भवरलाल कानि0 ने मुखबिर खास से सम्पर्क कर अवगत करवाया कि उक्त ऑडिट टीम उक्त अल्टो गाडी लेकर मोहनगढ से आज ही जोधपुर के लिये रवाना होगी तथा मुखबिर खास उक्त ऑडिट टीम की लोकेशन से अवगत करवाता रहेगा। जिस पर उच्च अधिकारियो के निर्देशानुसार आकस्मिक चैकिग की कार्यवाही आवश्यक होने से न्यायालयवाला से वारन्ट प्राप्त करने मे समय लगने व सूचना की गोपनीयता भंग होने व अवैध राशि खुर्द–बुर्द होने की सम्भावना के मध्य नजर वारन्ट प्राप्त करने मे मजबूरी होने से धारा 165 सीआरपीसी के तहत आकस्मिक चैकिग करने का निर्णय लिया जाकर मन अनिल शर्मा उप अधीक्षक पुलिस, मय उपरोक्त स्वतंत्र मौतबिरान व ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री जैठाराम हैड कानि.53, श्री भवंरलाल कानि0 309 श्री कवराजसिह कानि. 444, श्री शिवप्रताप कानि. 541, ओमप्रकाश कानि. 471 मय सरकारी वाहन, वाहन चालक श्री शेराराम कानि. 302 व श्री भवरलाल कानि0 की निजी कार से लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स इत्यादि सामान लेकर वक्त करीब 4.00 पी.एम. पर कार्यालय से चांधन की तरफ रवाना होकर वक्त करीब 4.50 पी.एम. पर चॉधन से करीब 2 किमी पहले वाहनो को सडक के किनारे रोक कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय मौतबिरान व ब्यूरो जाब्ता उक्त अंकेक्षण टीम के आने के इन्तजार मे व्यस्त हुए थे।

वक्त करीब 6.50 पी.एम पर श्री भंवरलाल कानि0 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मुखबिर खास ने अभी–अभी जरिये मोबाईल बताया है कि उक्त अंकेक्षण टीम मोहनगढ से अल्टो कार नम्बर आरजे 19 सीजी 7265 से जोधपुर की तरफ रवाना हो गई है, जिनके पास करीब 5.00–7.00 लाख रुपये अवैध राशि हैं। जिस पर श्री भवरलाल कानि. व श्री शिवप्रताप कानि. को श्री भवंरलाल की निजी कार से भांगु का गांव तिराया की तरफ रवाना कर निर्देशित किया गया कि जैसे ही उक्त अल्टो कार आपको भांगु का गांव तिराया पर नजर आये अविलम्ब मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल अवगत करवाते हुए

सुरक्षित दूरी बनाकर आप भी उनके पीछे–पीछे चांधन पुलिस चौकी की तरफ आ जाये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस भी मय स्वंतत्र गवाहान व शेष ब्यूरो जाब्ता के मय सरकारी वाहन के रवाना होकर पुलिस चौकी चांधन के सामने पहुचा जहां श्री हरिभज हैड कानि.116 पुलिस चौकी पर उपस्थित मिला जिनको उक्त अल्टो कार रुकवाने मे मदद करने हेतु कहने पर उनके द्वारा ब्यूरो जाब्ता के साथ मेरे निर्देशानुसार चौकी के सामने बैरीकेट लगाकर नाकाबंद्वी करवाई गई।

वक्त करीब 7.39. पी.एम पर श्री भंवरलाल कानि0 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि उक्त अल्टो कार भांगु का गांव तिराहा से क्रॉस हो गई हैं मै उक्त गाडी के पीछे–पीछे रवाना हो गया हुं, आप नाकाबंद्वी मजबूत करावें। वक्त करीब 7. 55 पी.एम पर मुताबिक सूचना के अल्टो कार नम्बर आरजे 19 सीजी 7265 नाकाबंद्वी पांईट पर आई जिसको ईशरा देकर रोका गया तो उक्त कार मे तीन व्यक्ति जिनमे से दो व्यक्ति कार की आगे की सीट पर एवं एक व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठा नजर आया व पीछे की सीट पर कुछ बैग रखे हुए नजर आये। जिस पर उक्त तीनो को कार से नीचे उतार कर अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू उनसे उनका परिचय पूछा गया तो ड्राईवर ने अपना नाम श्री कैलाशचन्द्र पुत्र श्री जेठाराम बामणिया जाति मेघवाल उम्र 39 साल निवासी गांव खुडियाला पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर हाल–मकान नम्बर डी–161 कीर्ति नगर मगरा पूंजला जोधपुर पैशा सहायक लेखाधिकारी द्वितीय कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जोधपुर होना, आगे की सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री गंगाराम पुत्र श्री सगताराम जाति मेघवाल उम्र 55 साल निवासी गांव छायण पुलिस थाना रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर हाल– मकान नम्बर 47 भरत नगर बिडला स्कूल के सामने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर पैशा सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जोधपुर होना एवं अल्टो कार की पीछे की सीट पर बैठे तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री महेन्द्र जाट पुत्र श्री कानाराम जाति जाट उम्र 30 साल निवासी गांव भडाना तहसील मुडवा पुलिस थाना मुडवा जिला नागौर पैशा सहायक लेखाधिकारी द्वितीय कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जोधपुर होना बताया। साथ ही श्री कैलाशचन्द्र ने उक्त अल्टो कार स्वंय की होना बताया व श्री गंगाराम ने मोहनगढ पंचायत समिति के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतो के अंकेक्षण कार्य हेतु आना व स्वंय को टीम का प्रभारी होना बताया।

जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त तीनो व्यक्तियो मय अल्टो कार व हमराहियान के चांधन पुलिस चौकी मे प्रवेश कर श्री हरिभज हैड कानि0 की सहमति से पुलिस चौकी चांधन में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर उक्त तीनो को सूत्र सूचना से अवगत करवाया जाकर उनके पास किसी प्रकार की नगद राशि होने के बारे मे पूछा गया तो श्री कैलाश चन्द्र ने स्वंय के पास 3–4 हजार रुपये की नगद राशि होना, श्री गंगाराम ने अपने पास 600/– रुपये नगद राशि होना व श्री महेन्द्र जाट ने स्वंय के पास 1500–2000 रुपये की नगद राशि होना बताया। अल्टो कार मे मौजूद सामान के बारे मे पूछने पर तीनो ने अपना–अपना बैग कार मे मौजूद होना बताया। जिस पर तीनो से उनके उक्त बैग मे किसी प्रकार की राशि/मुल्यवान वस्तु होने बाबत पूछने पर तीनो ने ही अपने–अपने बैग मे किसी प्रकार की कोई राशि/मुल्यवान वस्तु नही होना बताया।

जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सर्व प्रथम स्वतंत्र गवाहान के रुबरु श्री कैलाशचन्द्र को अल्टो कार से अपना बैग निकालने हेतु कहने पर उनके द्वारा अपना काले रंग का सोल्डर बैग कार से निकाल कर पेश किया जिसकी तलासी स्वंतत्र गवाह डा0 उमेश शर्मा से लिवाई गई तो बैग मे इस्तेमाली कपडें/सेविंग का सामान/दवाईया/पॉवरबैक/ मोबाईल चार्जर इत्यादि सामान मिला था।

तत्पश्चात श्री गंगाराम को अल्टो कार से अपना बैग निकालकर पेश करने हेतु कहने पर उनके द्वारा एक काले रंग का लेदरनुमा WINSOR कम्पनी का लेपटॉप बैग निकालकर पेश किया जिसकी तलासी स्वतंत्र गवाह डा0 उमेश शर्मा से लिवाई गई तो बैग के एक जेब मे इस्तेमाली कपडे/स्वेटर/एक निदेशालय स्थानीय निधी अंकेक्षण राजस्थान इन्टीमेशन कार्ड जिस पर श्री गंगाराम एवं श्री कैलाशचन्द्र का नाम व दिनांक 10.08.2022 लिखा हुआ पाया गया व उक्त कार्ड पर सहायक लेखाधिकारी की मोहर लगी होकर उस पर श्री गंगाराम के हस्ताक्षर होना पाये गये। उक्त बैग की अन्दर की दूसरी जेब मे 500–500 रुपये के कुल 07 (सात) बंडल पाये गये। उक्त 500–500 के बंडलो को स्वंतत्र गवाहान से गिनवाया गया तो कुल राशि 3.50,000/– रुपये (तीन लाख पचास हजार रुपये) होना पाई गई। उक्त राशि के बारे मे श्री गंगाराम से स्पष्टीकरण पूछने पर कुछ देर मौन रहने के उपरान्त उक्त राशि अपना खेत बैचने के एंवज मे एडवास के रुप मे प्राप्त होना बताया। श्री गंगाराम से उनका खेत किस जगह पर स्थित है व किस व्यक्ति को खेत कितनी राशि मे बैचान किया गया, के बारे मे पूछने पर श्री गंगाराम ने बताया कि मेरा खेत छायण मे था, फिर कहा कि उक्त खेत किसी और के नाम से था, फिर कहा कि उक्त खेत मेरे भाई ने बैचा हैं किसको बैचा हैं मुझे नही पता, फिर कहा कि उक्त खेत करीब एक महिने पहले बैचा था। जिस पर श्री गंगाराम से एक माह पूर्व बेचे गये खेत पेटे प्राप्त एडवास राशि ड्युटी के दौरान साथ लेकर रखने बाबत पूछा गया तो वह मौन रहे व कोई प्रतिउत्तर नही दिया। श्री गंगाराम द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नही होने से उक्त 3.50,000/– (तीन लाख पचास हजार) रुपये की राशि को संदिग्ध मानते हुए उक्त राशि व एक निदेशालय स्थानीय निधी अंकेक्षण राजस्थान इन्टीमेशन कार्ड जिस पर श्री गंगाराम एवं श्री कैलाशचन्द्र का नाम व दिनांक 10.08.2022 अंकित हैं, को उक्त WINSOR बैग मे डालकर बैग सहित उक्त राशि व कार्ड को कब्जा ब्यूरो लिया गया।

श्री महेन्द्र जाट को अल्टो कार से अपना बैग निकालने हेतु कहने पर उनके द्वारा अपना काले/लाल रंग का सोल्डर बैग कार से निकाल कर पेश किया जिसकी तलासी स्वंतत्र गवाह डा0 उमेश शर्मा से लिवाई गई तो बैग मे इस्तेमाली कपडें/ सेविंग का सामान/मोबाईल चार्जर इत्यादि सामान मिला। तत्पश्चात उक्त तीनो से पुनः स्वंतत्र गवाहान के समक्ष अल्टो कार मे अन्य किसी प्रकार की राशि/मुल्यवान वस्तु होने बाबत पूछा गया तो तीनो ने इन्कार किया।

जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त तीनो एवं मौतबिरान की मौजूदगी मे अल्टो कार की तलासी लिवाई गई तो पीछे की सीट पर एक काले रंग का लेपटॉप बैग मिला जिसके बारे मे पूछने पर तीनो ने ही आफिस का लेपटॉप बैग होना बताया। उक्त बैग कौन लेकर आया, के बारे मे पूछा गया तो तीनो ने एक–दूसरे का नाम लिया। जिस पर उक्त बैग मे मौजूद सामान बाबत पूछने पर तीनो ने ही अनभिज्ञता जाहिर की। जिस पर उक्त बैग की तलासी स्वंतत्र गवाहान से लिवाई गई तो बैग की अन्दर की जेबो मे 500–500 रुपये के नोटो की गड्डिया नजर आई। उक्त राशि के बारे मे पूछने पर तीनो ने ही उक्त राशि के बारे मे कोई जानकारी नही होना बताया। जिस पर उक्त राशि को बैग से निकलवाकर स्वंतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 500–500 रुपये के 845 नोट (राशि 4,22,500/–) व 2000/– रुपये का एक नोट इस प्रकार कुल राशि 4,24,500/– रुपये (चार लाख चौबिस हजार पांच सौ रुपये) मिली। उक्त बरामदा राशि के बारे मे पुनः तसल्ली देकर तीनो से पूछा गया तो तीनो ही निरुत्तर रहे। जिससे स्पष्ट हैं कि उक्त राशि अंकेक्षण कार्य के दौरान श्री कैलाशचन्द्र, श्री गंगाराम व श्री महेन्द्र जाट द्वारा ग्राम पंचायतो की ऑडिट के दौरान अवैध रुप से प्राप्त की हैं। जिस पर उक्त बरामदा 4,24,500/– रुपये (चार लाख चौबिस हजार पांच सौ रुपये) की संदिग्ध राशि को मय उक्त बैग के जब्त कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। उक्त बैग के अन्दर की एक जेब से अंकेक्षण कार्य से संबंधित कागजात की फोटो

प्रतियां/हस्तलिखित प्रतियां पाई गई जिसके बारे मे तीनो से पूछने पर तीनो ने बताया कि उक्त दस्तावेज अंकेक्षण कार्य से संबंधित हैं जिस पर उक्त दस्तावेजात पर पेजिग की जाकर (पेज संख्या 01 से 107 तक) प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर स्वतंत्र गवाहान व मन उपअधीक्षक पुलिस के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लियां गया।

उक्त बैग के अतिरिक्त अल्टो गाडी की तलासी के दौरान गियर के पास ग्लोबॉक्स के अन्दर से कुल 11 डेबिट/क्रेडिट कार्ड/ सोने का एक सिक्का मिले जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्रसं	नाम धारक	बैक का नाम	कार्ड नम्बर
1.	कैलाशचन्द्र	इण्डसंइड बैक	4147524022184001
2.	कैलाशचन्द्र	एचडीएफसी बैक	4854980600496774
3.	हंसी जैठाराम	एचडीएफसी बैक	5129670904854622
4.	कैलाशचन्द्र	एक्सिस बैक	4514570052947648
5.	कैलाशचन्द्र	एचडीएफसी बैक	4160210818569611
6.	कैलाशचन्द्र	एसबीआई बैक	4335876449410365
7.	प्रकाशचन्द्र	एचडीएफसी बैक	4572621602220991
8.	कैलाशचन्द्र	आईसीआईसीआई बैक	4748460782757004
9.	कैलाशचन्द्र	आईसीआईसीआई बैक	4375515553682002
10.	कैलाशचन्द्र	आईडीएफसी फ्रस्ट बैक	4281021006806663
11.	कैलाशचन्द्र	बजाब फिनसर्व आरबीएल बैक	5256118951204718
12.	पीसी ज्वेलर्स का 24 कैरेट एक ग्राम सोने का सिक्का		

उक्त बरामदा डेबिट/क्रेडिट कार्ड/सोने के सिक्के के बारे मे पूछने पर श्री कैलाशचन्द्र ने उक्त सामान स्वंय का होना व अंधिकाशं कार्ड क्रेडिट कार्ड होना बताये।

तत्पश्चात स्वंतत्र गवाह श्री मुकेश पुरोहित से बारी-बारी से उक्त श्री कैलाशचन्द्र, श्री गंगाराम व श्री महेन्द्र जाट की जामा तलासी लिवाई गई तो श्री कैलाशचन्द्र की जामा तलासी मे उसके पहने हुए लोअर की जेब से 8040/- रुपये नगद एवं एक डबल सिम मोबाईल फोन रेडमी कम्पनी का जिसके आईएमईआई नम्बर 862759049149154/862759049149162 पाये गये जिसके बारे मे पूछने पर उन्होने उक्त राशि अपने निजी खर्चे की होना तथा मोबाईल स्वंय का होना बताया।

तत्पश्चात श्री गंगाराम की जामा तलासी लिवाई गई तो उनकी पहनी हुई पेन्ट की जेब मे 600/- रुपये नगद एवं एक डबल सिम मोबाईल फोन वीवो कम्पनी का जिसके आईएमईआई नम्बर 866008056257351/34 व 866008056257344/34 पाये गये जिसके बारे में पूछने पर उन्होने भी उक्त राशि निजी खर्चे की होना व मोबाईल फोन स्वंय का होना बताया था।

इसी प्रकार श्री महेन्द्र जाट की जामा तलासी लिवाई गई तो उनके पहनी हुई पेन्ट की जेब से कुल 1350/- रुपये नगद व एक डबल सिम मोबाईल फोन एमआई कम्पनी का जिसके आईएमईआई नम्बर 865758033806883/865758033806891 होना पाये गये जिसके बारे मे पूछने पर उन्होने भी उक्त राशि अपनी निजी खर्चे की होना व मोबाईल फोन स्वंय का होना बताया। उपरोक्त तीनो सहायक लेखाधिकारी के जबाब संतोष जनक पाये जाने पर जामा तलासी के दौरान पृथक-पृथक बरामद उपरोक्त राशि संबंधितान को वापिस लौटाई गई। उपरोक्त बरामदा तीनो मोबाईल को स्वीच ऑफ कर वास्ते अनुसंधान कब्जा ब्यूरो लिया गया। इसी प्रकार अल्टो कार की तलासी के दौरान गियर के पास ग्लो बॉक्स मे मिले उक्त 11 डेबिट/क्रेडिट कार्ड व सोने के एक ग्राम के सिक्के को श्री कैलाशचन्द्र को वापिस लौटाया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान अलग-अलग दो बैगो मे संदिग्ध पाई गई कुल राशि 7,74,500/- (सात लाख चौहत्तर हजार पांच सौ रुपये), मय उक्त दोनो बैग, एक निदेशालय स्थानीय निधी अंकेक्षण राजस्थान इन्टीमेशन कार्ड जिस पर श्री गंगाराम एवं श्री कैलाशचन्द्र का नाम व दिनांक 10.08.2022 अंकित हैं एवं अंकेक्षण कार्य से संबंधित कागजात

की फोटो प्रतियां/हस्तलिखित प्रतियां एवं उक्त तीनो मोबाईल फोन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई भी मुल्यवान वस्तु इत्यादि को कब्जा ब्यूरो नही लिया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द आकस्मिक चैंकिग/खाना तलासी अलग से तैयार की जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये।

बाद कार्यवाही मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के जब्तसुदा अवैध राशि 7,74,500/– रुपये, दो काले रंग के बैग, बैग के अन्दर की एक जेब से अंकेक्षण कार्य से संबंधित कागजात की फोटो प्रतियां/हस्तलिखित प्रतियां, एक निदेशालय स्थानीय निधी अंकेक्षण राजस्थान इन्टीमेशन कार्ड जिस पर श्री गंगाराम एवं श्री कैलाशचन्द्र का नाम व दिनांक 10.08.2022 अंकित है, तीनो सहायक लेखाधिकारियो से बरामदा तीनो मोबाईन फोन इत्यादि लेकर सरकारी/निजी वाहनो से पुलिस चौकी चांधन से रवाना होकर दिनांक 21.01.2023 को वक्त 1.30 ए.एम पर भ्रनिब्यूरो कार्यालय जैसलमेर पहुंचां एवं जब्तसुदा उक्त राशि, दो काले रंग के बैग, एक डबल सिम मोबाईल फोन रेडमी कम्पनी का जिसके आईएमईआई नम्बर 862759049149154/862759049149162, एक डबल सिम मोबाईल फोन वीवो कम्पनी का जिसके आईएमईआई नम्बर 866008056257351/34 व 866008056257344/34, एक डबल सिम मोबाईल फोन एमआई कम्पनी का जिसके आईएमईआई नम्बर 865758033806883/865758033806891, एक निदेशालय स्थानीय निधी अंकेक्षण राजस्थान इन्टीमेशन कार्ड जिस पर श्री गंगाराम एवं श्री कैलाशचन्द्र का नाम व दिनांक 10.08.2022 अंकित है, को मालखाना प्रभारी श्री जेठाराम हैड कानि. 53 को डबल लॉक मे रखने हेतु सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया।

उपरोक्त आकस्मिक चैंकिग से पाया गया कि श्री गंगाराम, सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जोधपुर (अंकेक्षण टीम प्रभारी) के निजी काले रंग के बैग मे मिले 3,50,000/– (तीन लाख पचास हजार रुपये) के बारे मे पूछने पर कुछ देर मौन रहने के उपरान्त श्री गंगाराम द्वारा उक्त राशि अपना खेत बैचने के एंवज मे एडवास के रुप मे प्राप्त होना बताया। श्री गंगाराम से उनका खेत किस जगह पर स्थित है व किस व्यक्ति को खेत कितनी राशि मे बैचान किया गया, के बारे मे पूछने पर श्री गंगाराम ने बताया कि मेरा खेत छायण मे था, फिर कहा कि उक्त खेत किसी और के नाम से था, फिर कहा कि उक्त खेत मेरे भाई ने बैचा हैं किसको बैचा हैं मुझे नही पता, फिर कहा कि उक्त खेत करीब एक महिने पहले बैचा था। जिस पर श्री गंगाराम से एक माह पूर्व बेचे गये खेत पेटे प्राप्त एडवास राशि ड्युटी के दौरान साथ लेकर रखने बाबत पूछा गया तो वह मौन रहे व कोई प्रतिउत्तर नही दिया। जिससे स्पष्ट हैं कि श्री गंगाराम द्वारा उक्त राशि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अंकेक्षण कार्य के दौरान अवैध रुप से प्राप्त की गई हैं। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त तीनो सहायक लेखाधिकारियो एवं मौतबिरान की मौजूदगी मे अल्टो कार की लिवाई गई तलासी के दौरान एक काले रंग का लेपटॉप बैग मिला, जिसके बारे मे पूछने पर श्री गंगाराम सहायक लेखाधिकारी प्रथम, श्री कैलाशचन्द्र सहायक लेखाधिकारी द्वितीय एवं श्री महेन्द्र जाट सहायक लेखाधिकारी द्वितीय ने आफिस का लेपटॉप बैग होना बताया। उक्त बैग कौन लेकर आया, के बारे मे पूछा गया तो उक्त तीनो सहायक लेखाधिकारियो ने एक–दूसरे का नाम लिया। जिस पर उक्त बैग मे मौजूद सामान बाबत पूछने पर तीनो ने ही अनभिज्ञता जाहिर की। उक्त लेपटॉप बैग की तलासी करवाने पर उसके अन्दर 500–500 रुपये के 845 नोट (राशि 4,22,500/–) व 2000/– रुपये का एक नोट इस प्रकार कुल राशि 4,24,500/– रुपये (चार लाख चौबिस हजार पांच सौ रुपये) मिली। उक्त बरामदा राशि के बारे मे पूछने पर तीनो ने ही उक्त राशि के बारे मे कोई जानकारी नही होना बताया। उक्त बरामदा राशि के बारे मे पुनः तसल्ली देकर तीनो से पूछा गया तो तीनो ही निरुत्तर रहे। जिससे स्पष्ट हैं कि उक्त 4,24,500/– रुपये की अवैध राशि अंकेक्षण कार्य के दौरान श्री गंगाराम, श्री कैलाशचन्द्र व श्री महेन्द्र जाट द्वारा मोहनगढ पंचायत समिति के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतो की ऑडिट के दौरान अवैध रुप से प्राप्त की हैं। श्री गंगाराम सहायक लेखाधिकारी के बैग व अल्टो कार से बरामद एक अन्य बैग से बरामदा कुल 7,74,500/– रुपये अवैध राशि के बारे मे उक्त तीनो द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नही देने से उक्त राशि तीनो सहायक लेखाधिकारीगण द्वारा अपने–अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध रुप से प्राप्त करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया हैं।

इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से 1– श्री गंगाराम पुत्र श्री सगताराम जाति मेघवाल उम्र 55 साल निवासी गांव छायण पुलिस थाना रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर हाल– मकान नम्बर 47 भरत नगर बिडला स्कूल के सामने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर पैशा सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जोधपुर। 2– श्री कैलाषचन्द्र पुत्र श्री जेठाराम बामणिया जाति मेघवाल उम्र 39 साल निवासी गांव खुडियाला पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर हाल–मकान नम्बर डी–161 कीर्ति नगर मगरा पूंजला जोधपुर पैशा सहायक लेखाधिकारी द्वितीय कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जोधपुर। 3– श्री महेन्द्र जाट पुत्र श्री कानाराम जाति जाट उम्र 30 साल निवासी गांव भडाना तहसील मुडवा पुलिस थाना मुडवा जिला नागौर, पैशा सहायक लेखाधिकारी द्वितीय कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जोधपुर से बरामदा कुल 7,74,500/– रुपये को अवैध राशि मानकर इनके विरुद्ध एक दिवसीय चैक पिरीयड अवधि में अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1) (बी) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(अनिल शर्मा)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जैसलमेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिल शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(बी) सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री गंगाराम पुत्र श्री सगताराम, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, 2. श्री कैलाशचन्द्र पुत्र श्री जेठाराम बामणिया, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, एवं 3. श्री महेन्द्र जाट पुत्र श्री कानाराम, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 30/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8.2.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 232-35 दिनांक 8.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।

8.2.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।